

**न्यायालय अनुमण्डल नीलाम-पत्र पदाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह)।**

.....प्रथम पक्ष  
बनाम  
.....द्वितीय पक्ष

**आदेश-पत्रक**

पक्ष

मूल.....36619.00.....  
कोर्ट फी0.....834.....  
टोटल 37453.00

देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129  
आदेश सं० क. ता०.....से.....तक  
जिला गिरिडीह।

नीलाम-पत्र वाद संख्या.....89/21.....

आदेश की क्रम सं० और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित
1	2	3
	<p>शाखा प्रबन्धक</p> <p>के माध्यम से अभिलेख</p> <p>.....के द्वारा देनदार श्री..... श्री..... अतः</p> <p>के विरुद्ध 37453.00 रूपये की वसूली लोक मांग वसूली अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत अधियाचना पत्र देकर प्रमाण-पत्र मुकदमा दायर किया गया है।</p> <p>अधियाचना पत्र के साथ देनदार द्वारा किया गया लोक मांग वसूल अधिनियम के अधीन वसूली हेतु एकरारनामा की प्रति लेखा विवरणी तथा अन्यान्य कागजात दाखिल किया गया है।</p> <p>मुकदमें की स्वीकृति हेतु 834.00 रूपये का कोर्ट फी स्टाम्प दायर किया/नहीं गया है। स्टाम्प दायर करके हेतु समय की मांग की गई है। जिसे स्वीकार किया जाता है।</p> <p>पंजी X में अंकित करें। स्टाम्प दायर मामले में दफा 7 के अंतर्गत देनदार/जमानतदार के सूचना प्रपत्र 1 के साथ जारी करें। जिसका तामिला..... से करावें।</p> <p>संबन्धित के</p> <p>अभिलेख दिनांक.....16/09/21.....को रखें।</p> <p>मेरे द्वारा लिखवाया एवं शुद्ध किया।</p> <p>अनुमण्डल नीलाम पत्र पदाधिकारी बगोदर-सरिया</p>	


अनुमण्डल नीलाम पत्र पदाधिकारी बगोदर-सरिया

अनुमण्डल नीलाम पत्र पदाधिकारी बगोदर-सरिया।

1 की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3


2/9/22

अभिलेख उपस्थापित ।  
 चारा-7 की नैसर्गिक नामिला टैनु CH  
 को दिनांक - 6/8/21 को उपलब्ध करा  
 दिया गया था. परन्तु एक वर्ष बीत जाने  
 के बाद भी अभी तक नामिला प्रतिकेता  
 उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसा  
 प्रतीत होता है कि CH को इस कार्य में  
 कोई रुचि नहीं है। CH को अंतिम  
 मौका है कि नामिला प्रतिकेता उपलब्ध  
 करावे। अन्तर्गत Board's Instructions  
 No. 6 के प्रावधानों की अवहेलना में  
 वाद की कार्यवाही समाप्त कर दी जायेगी  
 तथा इसकी स्वारी जवाब देही CH की  
 होगी।  
 CH को इस आदेश से अवगत  
 करावे।  
 अभिलेख दिनांक - 19/9/22 को  
 उपस्थापित करें।

  
 Certificate Officer


10.10.22

अभिलेख उपस्थापित । CH को  
 नामिला प्रतिकेता उपलब्ध नहीं कराया  
 गया है तथा उनके कोई प्रतिकेता  
 भी उपस्थापित नहीं हैं।  
 अभिलेख दिनांक 11.10.22 को  
 उपस्थापित करें।

  
 19/10/22


11.10.22  
10.12.22

अभिलेख उपस्थापित । आदेश की शक्ति  
 सवि संलग्न।



आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	<p>अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित।</p> <p>Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914 के अंतर्गत धारा-7 की नोटिस तामिला हेतु CH को उपलब्ध कराया गया था, परन्तु उनके द्वारा तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया।</p> <p>दिनांक-02.09.2022 को Boards Instructions No. 6 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुये वाद की कार्यवाही समाप्त करने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ करने की सूचना CH को दी गई थी, तथापि तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया।</p> <p>स्पष्टतया CH की इस वाद में कोई अभिरुचि प्रतीत नहीं होती है। Board's Instruction No. 6 में प्रावधानित है कि “ Responsibility of Requiring-officer and Certificate-officer for prompt disposal of certificate cases. – The Requiring-officer and Certificate-officer are jointly responsible of the punctual disposal of certificate cases and are bound to bring to each other's notice and if necessary to the notice of the Collector; any</p>	



आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	<p>undue delay. The Requiring-officer is primarily responsible for systematic application for certificates, the prompt disposal of objections if referred to him under Rule 11, Schedule II to the Act, the return of the files after such disposal, and the early application for execution, giving details of the property against which the certificate is to be enforced. He is also responsible for seeing, from time to time, that the execution proceedings are progressing. He is responsible for reporting punctually all payments out of Court, as prescribed in Instruction 24 below.”</p> <p>अतः उक्त विवेचन के आलोक में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। साथ ही यदि किसी राशि की वसूली अवशेष रह जाती है तो इसके लिये CH पूरी तरह से जिम्मेवार होंगे।</p> <p style="text-align: center;"> सर्टिफिकेट ऑफिसर -सह- अनुमण्डल पदाधिकारी बगोदर-सरिया।</p>	